L. C. BILL No. X OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक १० सन् २०२६।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

(शा.म.मु) एचबी ५६१–१ (१०५–६–२०२६)

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२६, १६ जून २०२६ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् २०१७ का महा. ६। सन् २०२६ का महा. ६।

और क्योकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैः—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह १६ जून २०२६ को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १०९ की,— सन् २०१७ का महा. ६।

(१) उप-धारा (३) के,—

(एक) खण्ड (घ) का द्वितीय परन्तुक अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खण्ड (छ) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु आगे यह कि, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए राज्य सरकार, ३० जून २०२६ को या के पूर्व नवीन महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए अंतिम मंजुरी दे सकेगी। " ;

(२) उप-धारा (४) के खण्ड (घ) के,—

(एक) द्वितीय परंतुक और सारणी अपमार्जित की जाएगी ;

(दो) विद्यमान परन्तुक के पश्चात, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

" परन्तु आगे यह कि, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए राज्य सरकार, ३० जून २०२६ को या के पूर्व अध्ययन के नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त वर्ग या उपग्रह केंद्र शुरू करने की अनुमति दे सकेगी।"।

सन् २०२६ का महा. अध्यादेश क्रमांक ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र लोक विश्व विद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०२६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ६।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ की महा. ६) की धारा १०९ में नए महाविद्यालय या संस्थान या नए अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, वर्ग या उपग्रह केंद्र शुरू करने कि प्रक्रिया के उपबंध है। उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (३) के खंड (छ) में यह उपबंध है कि, राज्य सरकार १५ जून को या के पूर्व नए महाविद्यालय या संस्थान शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी दे सकेगी और उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) में यह उपबंध है कि, राज्य सरकार नए अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त वर्ग या उपग्रह केंद्र के लिए जिस वर्ष अनुमती मांगी गई है उस वर्ष के १५ जून को या के पूर्व मंजूरी दे सकेगी।

२. महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त धारा १०९ में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नए महाविद्यालय या संस्थान शुरू करने और नए अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय या अतिरिक्त वर्ग या उपग्रह केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। अतः, उक्त धारा १०९ में यथोचित संशोधन द्वारा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए नए महाविद्यालय या संस्थान शुरू करने तथा नए अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त वर्ग या उपग्रह केंद्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन या मंजूरी देने का दिनांक बढ़ाना इष्टकर समझा गया है।

३. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (सन् २०२६ का महा. अध्या क्र. ६) १६ जून २०२६ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,

दिनांकित २२ जून, २०२६।

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित २२ जून, २०२६ ।

डॉ. विलास आठवले,

सचिव (३),

महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई